न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 669/2019

1 सुरेन्द्र कुमार पुत्र रावताराम जाति कुम्हार निवासी छापांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 रणवीर पुत्र रावताराम जाति कुम्हार निवासी छापांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

वादीगण

बनाम

1 रावताराम पुत्र घेरूराम जाति कुम्हार निवासी छापांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 मंजु देवी पुत्री रावताराम पत्नी सत्यनारायण जाति कुम्हार निवासी मुंडा तहसील व जिला हनुमानगढ

3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–

1 श्री सन्तकुमार अधिवक्ता (वादीगण)

2 श्री इन्द्रजीत जलन्धरा अधिवक्ता (प्रतिवादी संख्या 1 ता 2)

3 राजपैरोकार वास्ते स्टेट

निर्णय दिनांक :– 15.11.19

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि चक 25 एम जे डी जमाबदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 68/59 प.न. 79/195 मु.न. 50 कि.न. 16,21,22,23,24,25 प.न. 80/195 मु.न. 51 कि.न. 20,21 प.न. 80/196 मु.न. 58 कि.न. 1, 9, 10,11,12,13,18,19,20,21,22,23,24 प.न. 79/196 मु.न. 59 कि.न .1 ता 25 कुल 46 किता में 11.638 है. नहरी बारानी मय खाला रास्ता आराजी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जिसमे से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1.667 है. आराजी दर्ज कागजात माल है। चक 26 एम एम के खाता संख्या 53/48 जमाबदीसम्वत 2069–2072 प.न. 80/197 मु.न. 2 कि.न. 4, 5, प.न. 78/200मु.न. 25 कि.न. 1 ता17, 19 ता 25 प.न. 78/201 मु.न. 26 कि.न. 1 ता 10कुल 36 किता में 9.108 है. नहरी बारानीमय खाला रासता दर्ज रिकॉर्ड है जिसमें प्रतिवादीसंख्या 1 रावताराम के नाम 0.780 है. आराजी दर्ज कागजात माल है। चक 28 एम एम के तहसील हनुमानगढ खाता संख्या 89/22 प.न. 77/200 मु.न. 47 कि.न. 11, 12, 19 ता 25 प.न. 76/200 मु.न. 48कि.न. 14, 15, 16, 17,24, 25 प.न. 76/201 मु.न. 52 कि.न. 5, 6, 16 प.न. 77/201 मु.न. 53 कि.न. 1 ता 13 कुल 31 किता में 7.843 है. नहरी मय गे.मु.रासता आराजी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जिसमें से प्रतिवादी संख्या 1 रावतराम के नाम 0.653 है. आराजी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रतिवादी संख्या 1 रावताराम के नामदर्ज आराजी रावताराम को अपने पिता वादीगण के दादा स्व. घेरूराम वल्द गोंविदराम से विरासतन प्राप्त हुयी है

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

चक 25 एम जे डी व 26 एम एम के के रकबा का घेरूराम के विरासतन इन्तकारकी प्रतिलिपी संलग्न वाद पत्र है व मद संख्या 4 में उल्लेखित रकबा भी रावताराम को अपने पिता घेरूराम के विरासतन प्राप्त हुआहै। घेरूराम के नाम की जमाबदी चक 28 एम एम के तहसील हनुमानगढ खाता संख्या 22/21 जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। वादीगण एव प्रतिवादीगण एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है औरइन्होने प्रतिवादीसंख्या 1 के नाम दर्ज उपरोक्त रकबा का घरू बंटवारा आज से 5 वर्ष पूर्व कर कर रखा है, मुताबिक घरू बंटवारा वादीगण को चक 26 एम एम के व चक 25 एम जे डी में प्रतिवादीसंख्या1 के नाम दर्ज रकबा यानि 0.780 है + 1.667 है. कुल 2.447 है. रकबा ब.हि.ब. प्राप्त हुआ है। वचक 28 एम एम के में प्रतिवादी संख्या 1 के नामदर्ज आराजी प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुयी है।इसी अनूसार वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 अपने अपने हक हिस्सा में आयी आराजी को काश्त करते आ रहे है। वादीगण मुताबिक घरू बंटवारा अपने को प्राप्त दावा की मद संख्या 2 व 3 मे दर्ज आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी को घरू बंटवारा की दिनांक से काबिज होकर काश्त करते आरहे है लेकिन यह रकबा राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज रहने के कारण वादीगण को पानी की बारी रकम अदायगी बैंक ऋण व अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़रहा है इस कारण वादीगण मुताबिक बंटवारा अपने हक हिस्सा में आयी अपने कब्जा काश्त की आराजी की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने कानूनन हक अधिकारी है। वगैरा–वगैरा।

अतः वाद वादीगण की तरफ से दो प्रतियों मे मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि चक 26 एम एम के तहसील सादुलशहर के खातासंख्या 53/48 जमाबदी सम्वत 2069–2072 में रावताराम के नाम दर्ज 0.780 है. आराजी के वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे, चक 25 एम जे डी जमाबंदीसम्वत 2071–2074 खातासंख्या 68/59 में प्रतिवादीसंख्या 1 रावतराम के नाम दर्ज 1.667 है. आराजी के वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एव प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने जरिये वकील उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। जवाब स्टेट पेश हुआ , राज्यहित को ध्यान में रखते हुये वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादीगण ने मुताबिक पारिवारिक बंटवारा वाद पत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने वादीगण के कथनों में अपनी सहमति प्रकट की, एव वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया । पत्रावली का अवलोकन किया गया, वादीगण एव प्रतिवादीगण के मध्य परिवारिक बंटवारा हुआ है एंव वादीगण एव प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है एवं मुताबिक पारिवारिक बंटवारा वादीगण एव प्रतिवादी ने एक दूसरे की कब्जा काश्त को स्वीकार किया है, वादाधीन आराजी संयुक्त परिवार की सम्पति है, एव पारिवारिक बंटवारा के सम्बध में प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेशकिया है, वादीगण द्वारा सहदायिकी सम्पति में घोषणा की मांग की है ,एव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वादीगण की कब्जा काश्त के समबध में कोई विरोध नही किया है, इस प्रकार वादीगण

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

ने अपने दावा को दस्तावेजी साक्ष्यों, राजीनामा व बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है एवं वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता हूं।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :– चक 26 एम एम के तहसील सादुलशहर के खाता संख्या 53/48 जमाबदी सम्वत 2069–2072 में दर्ज कुल खाता 9.108 है. नहरी मय गे.मु. आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 रावताराम के नाम दर्ज 0.780 है. आराजी में वादीगण संख्या 1 व 2 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं चक 25 एम जे डी जमाबंदीसम्वत 2071–2074 खाता संख्या 68/59 में दर्ज कुल खाता 11.638 है. नहरी बारानी मय गै.मु. आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 रावताराम के नाम दर्ज 1.667 है. आराजी में वादीगण संख्या 1 व 2 को ब.हि. ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव इस हद तक उक्त खातो से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानूसार ही वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। उक्तानुसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.11.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14.11.19

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

संख्याक–01

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 669/2019

1 सुरेन्द्र कुमार पुत्र रावताराम जाति कुम्हार निवासी छापांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 रणवीर पुत्र रावताराम जाति कुम्हार निवासी छापांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

वादीगण

बनाम

1 रावताराम पुत्र घेरूराम जाति कुम्हार निवासी छापांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 मंजु देवी पुत्री रावताराम पत्नी सत्यनारायण जाति कुम्हार निवासी मुंडा तहसील व जिला हनुमानगढ

3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ हवाई सिंह यादव वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री संतराम कुमार वकील वादीगण मिन जामिन मुद्दई श्री इन्द्रजीत जलन्धरा वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुद्दायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि:– चक 26 एम एम के तहसील सादुलशहर के खाता संख्या 53/48 जमाबदी सम्वत 2069–2072 में दर्ज कुल खाता 9.108 है. नहरी मय गै.मु. आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 रावताराम के नाम दर्ज 0.780 है. आराजी में वादीगण संख्या 1 व 2 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं चक 25 एम जे डी जमाबंदीसम्वत 2071–2074 खाता संख्या 68/59 में दर्ज कुल खाता 11.638 है. नहरी बारानी मय गै.मु. आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 रावताराम के नाम दर्ज 1.667 है. आराजी में वादीगण संख्या 1 व 2 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव इस हद तक उक्त खातो से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानूसार ही वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

बसख्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 14.11.19 को जारी किया गया।

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2019.12.05 17:44:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: